

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 603/2023
अनवान : -

1. इन्द्रपाल पुत्र धनपत राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. धनपतराम पुत्र रामुराम उर्फ रामलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. राहुल गोदारा पुत्र इन्द्रपाल गोदारा जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. सावित्री पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. करीना पुत्री इन्द्रपाल गोदारा जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. रामकुमार पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. ओम प्रकाश पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 26.09.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 269/275 की कुल 14.7330 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 268/274 के खसरा न0 255/2 की कुल 1.5930 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077-80 के खाता संख्या 53/53 की कुल 2.6820 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी का पिता है तथा व्योवृद्ध व्यक्ति है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्र व उसके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुका है। प्रतिवादीया संख्या 3 जो की वादी की बहिन तथा प्रतिवादीया संख्या 4 जो की वादी की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाई/पिता के पक्ष में परित्याग कर चुके है एवं प्रतिवादीगण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5 व 6 जो की वादी के भाई है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं उसके वारिसों के पक्ष मे परित्याग कर चुके है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 रामकुमार को अपने दादा के भाई रजीराम से रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के खाता संख्या 105/105 की कुल 3.3900 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 563/576 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि मिल चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 को अपने दादा के भाई पुरखाराम से रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 61/60 की कुल 1.5180 हैक्ट एवं रोही मौजा 4 बीकेके के खाता संख्या 14/14 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि मिल चुकी है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 6 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया जो की बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070-73 रोही मौजा भूकरका खाता संख्या 269/275 प्रदर्श-1, जमाबंदी सम्वत 2070-73 रोही मौजा भूकरका खाता संख्या 268/274 प्रदर्श-2, जमाबंदी सम्वत 2077-80 रोही मौजा 4 बीकेके खाता संख्या 53/53 प्रदर्श-3, जमाबंदी सम्वत 2077-80 रोही मौजा 4 बीकेके खाता संख्या 105/105 प्रदर्श-4, जमाबंदी सम्वत 2070-73 रोही मौजा भूकरका खाता संख्या 563/576 प्रदर्श-5, जमाबंदी सम्वत 2070-73 रोही मौजा भूकरका खाता संख्या 61/60 प्रदर्श-6, जमाबंदी सम्वत 2077-80 रोही मौजा 4 बीकेके खाता संख्या 14/14 प्रदर्श-7, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम भूकरका प्रदर्श 8 ता 9, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम 4 बीकेके प्रदर्श-10, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श-11 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 269/275 की कुल 14.7330 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 268/274 के खसरा न0 255/2 की कुल 1.5930 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077-80 के खाता संख्या 53/53 की कुल 2.6820 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 269/275 की कुल 14.7330 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 268/274 के खसरा न0 255/2 की कुल 1.5930 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077-80 के खाता संख्या 53/53 की कुल 2.6820 हैक्ट भूमि दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए

इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/9/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 603/2023
अनवान : -

1. इन्द्रपाल पुत्र धनपत राम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. धनपतराम पुत्र रामुराम उर्फ रामलाल जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. राहुल गोदारा पुत्र इन्द्रपाल गोदारा जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. सावित्री पुत्री धनपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. करीना पुत्री इन्द्रपाल गोदारा जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. रामकुमार पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. ओम प्रकाश पुत्र धनपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 603 सन 2023 निर्णय दिनांक 26.09.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 269/275 की कुल 14.7330 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 268/274 के खसरा न0 255/2 की कुल 1.5930 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077-80 के खाता संख्या 53/53 की कुल 2.6820 हैक्ट भूमि दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/9/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर